राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़
Email:- registrar.rmpu@gmail.com

पत्रांकः–आर0एम0पी0यू0/2473/2023 दिनांकः– 12 अक्टूबर, 2023

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या
सम्बद्ध महाविद्यालय
राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय
अलीगढ़।

विषयः मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 01.08.2023 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बैठक हुई चर्चा तथा मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 सी0एम0 96/सत्तर–3–2023 दिनांक 11.09.2023 एवं सी0एम0 107/सत्तर–3–2023 दिनांक 12.10.2023 का संदर्भ लेने का कष्ट करें। (संलग्न) जिसके द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों पर समुचित कार्यवाही की कृत आख्या प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में आदेशानुसार निर्देशित किया जाता है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों पर समुचित कार्यवाही की कृत आख्या विश्वविद्यालय की ई–मेल आई0डी0 rmpuinfo@gmail.com पर दिनांक 13.10.2023 प्रातः 11:00 बजे तक अनिवार्य रूप से प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय

12.10.23
(कैलाश बिन्द)
सहा0कुलसचिव
कृते कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मा0 कुलपति जी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी (आगरा/अलीगढ़), आगरा।
5. प्रभारी वेबसाइट को इस निर्देश के साथ कि वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

12.10.23
सहा0कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner

अत्यन्त महत्वपूर्ण/समयबद्ध
संख्या–सी0एम0 107/सत्तर–3–2023

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

<u>उच्च शिक्षा अनुभाग–3</u> लखनऊ : दिनांक 12 अक्टूबर, 2023

विषय : मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 01.08.2023 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बैठक में हुई चर्चा तथा मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–सी0एम0 96/सत्तर–3–2023, दिनांक 11.09.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 11.09.2023 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों पर समुचित कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं, परन्तु वांछित आख्या अद्यतन अप्राप्त है। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक एवं अस्वीकार्य है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में अद्यतन कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या **प्रत्येक दशा में दिनांक 13.10.2023 को मध्याह्न 12:00 बजे तक अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में अद्यतन कृत कार्यवाही की **अनुपालन आख्या समस्त सम्बन्धित से प्राप्त कर अपनी समेकित आख्या प्रत्येक दशा में दिनांक 13.10.2023 को अपराह्न 02:00 बजे तक शासन को उपलब्ध** कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

महत्वपूर्ण

संख्या–सी0एम0 98 / सत्तर-3-2023

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 11 सितम्बर, 2023

विषय : मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 01.08.2023 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बैठक में हुई चर्चा तथा मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–25/स.बै./34–लो.शि.–4/2023, दिनांक 11.08.2023 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित मा0 मुख्यमंत्री जी के दिशा–निर्देशों पर समुचित कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये कृत कार्यवाही की आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन को उनके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 11.08.2023 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।
2– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– निजी सचिव, समस्त विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
5– समस्त अनुभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

RPS GO

Scanned with OKEN Scanner

संख्या-सी०एम०-96 / सत्तर-3-2023 No. 27280 /MS/CM/2023

कार्यालय

मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश

लोक भवन, लखनऊ

आज़ादी का अमृत महोत्सव

संख्या-25/स.बै./34-लो.शि.-4/2023

संख्या 1614 /VIPPSHED/2023 दिनांक 11 अगस्त, 2023

मानवीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में 01 अगस्त, 2023 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बैठक में हुई चर्चा तथा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश

प्रमुख सचिव कार्यालय में प्राप्त दिनांक 12/8/23

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत स्टेट स्कूल स्टैण्डर्ड अथॉरिटी का गठन किया जाए जिसके द्वारा सभी विद्यालयों में गुणवत्ता मानक स्थापित किए जाएं। भारतीय ज्ञान, स्थानीय प्रथाएं, इतिहास का समावेश करते हुए स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क भी गठित किया जाए।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए समस्त जनपदों में कार्यशालाओं का आयोजन कराया जाए; पीएम श्री विद्यालयों का राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 पर आधारित घटकों के आधार पर संचालन सुनिश्चित किया जाए।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अटल आवासीय विद्यालयों, पीएम श्री विद्यालयों एवं मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालयों का समयबद्ध रूप से विकास करते हुए कम्पोजिट स्कूल कॉम्प्लेक्स का क्रियान्वयन किया जाए।
- छात्रों के लिए हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, डिजिटल लाइब्रेरी व बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाए।
- छात्रों को लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से वोकेशनल कोर्सेज का परिचय कराते हुए उन्हें कैरियर परामर्श भी उपलब्ध कराया जाए।
- सभी दिव्यांग और आउट ऑफ स्कूल बच्चों की ट्रैकिंग करते हुए समावेशित शिक्षा सुनिश्चित की जाए। बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारते हुए, शिक्षकों को उच्च कोटि का प्रशिक्षण दिया जाए और ब्लेन्डेड अप्रोच में ट्रेनिंग सिद्धांत को अपनाते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पाठ्यक्रमों का संशोधन सुनिश्चित करते हुए कक्षाओं में संचालित किया जाए।
- डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए 'दीक्षा' ऐप का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब की अधिक से अधिक स्थापना के लिए विद्यालयों को प्रेरित किया जाए। स्कूलों में तकनीक का उपयोग हो। समर्थ एप आईटी सिस्टम से नामांकन, ठहराव, उपस्थिति एवं दक्षताओं का रियल टाइम अनुश्रवण किया जाए।

  'शारदा' ऐप के माध्यम से विद्यार्थी हेतु पहचान नामांकन, ऑनलाइन उपस्थिति, प्रतिधारण और मूल्यांकन किया जाए।
- माध्यमिक विद्यालयों में प्रोजेक्ट अलंकार के तहत शत्-प्रतिशत् विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का संतृप्तिकरण दो साल में पूर्ण किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के

ACS बेसिक शिक्षा / मा० शिक्षा / प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा / प्राविधिक शिक्षा / व्यावसायिक शिक्षा

16/08/2023

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

वि. अ. (उ)

17/08/23

(एस० पी० अग्रवाल)
प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

4245/vs(3)/23

JS

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

22.8.2023

Scanned with OKEN Scanner

क्रियान्वयन में अन्तर्विभागीय समन्वय सुनिश्चित किया जाए; व्यवसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को माध्यमिक विद्यालयों में संचालित किया जाए। स्थानीय ट्रेड दक्षताएं जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की ट्रेनिंग कराई जाए; इसमें कौशल विकास के सर्टिफिकेट कोर्सेस को समावेशित किया जाए।

➤ राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का लाभ हर वर्ग, हर व्यक्ति तक पहुँचाना सरकार का कर्तव्य है। इसके तहत आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए 'शारदा' व दिव्यांग बच्चों के लिए 'समर्थ' कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं। इन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए स्पेशल ऐजुकेटर्स और नोडल शिक्षकों के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। कक्षाओं में ब्रेल टैक्स्ट बुक, स्टेशनरी, ऐनलार्ज प्रिन्ट टैक्स्ट बुक सहित विशेष शैक्षिक सामग्री एवं बच्चों हेतु उपकरणों की व्यवस्था हो। दिव्यांग बच्चों के लिए सरकार द्वारा एस्कॉर्ट एलाउन्स व दिव्यांग बालिकाओं हेतु स्टाइपैन्ड दिया जा रहा है; इनका सदुपयोग सुनिश्चित किया जाए।

(संजय प्रसाद)
प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश शासन
मुख्यमंत्री कार्यालय
संख्या :25/स.वै./34-लो.शि.-4/2023
लखनऊ दिनांक : 11 अगस्त, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमख सचिव, उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा, उ. प्र. शासन।
4. प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

(संजय प्रसाद)
प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री

Scanned with OKEN Scanner